



कार्यालय

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(जिला भू-अर्जन शाखा)

आम सूचना

दुमका जिला अन्तर्गत अंचल-दुमका के दो मौजा बेहराबाँक एवं रामपुर में कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, प्रमण्डल दुमका कैंप राँची द्वारा आवासीय कॉलोनी निर्माण परियोजना हेतु रैयती भूमि अर्जन करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। नये भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-41 के तहत अधिसूचित क्षेत्र में रैयती भूमि अर्जन करने के पूर्व प्राप्त अधियाचना के आलोक में पेसा एक्ट-1996 के अनुपालन करते हुए प्राप्त प्रस्ताव को संबंधित ग्राम सभा में विचारार्थ रखा जाना आवश्यक है।

उक्त परिपेक्ष्य में भू-अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-41 एवं पेसा एक्ट-1996 का अनुपालन करते हुए प्राप्त प्रस्ताव को ग्राम सभा में रखने हेतु निम्न रूपेण मौजा एवं पंचायतवार ग्राम सभा आयोजित कर संबंधित ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा जाना निर्धारित किया जाता है। अधियाचित खाता एवं खेसरा नीचे कॉलम में अंकित है। अधियाचना से संबंधित खाता संख्या एवं खेसरा संख्या, प्रस्तावित भूमि का विवरण एवं अन्य कागजात अवलोकन हेतु जिला भू-अर्जन कार्यालय, दुमका, संबंधित अंचल कार्यालय एवं पंचायत भवन के पास उपलब्ध है। सभी प्रभावित रैयतो को सूचित किया जाता है कि निम्न निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अधिग्रहित की जा रही भूमि से संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	मौजा का नाम	थाना सं०	पंचायत का नाम	ह.क.	खाता नं०	खेसरा नं०	अधियाचित रकवा	ग्राम सभा का स्थल	ग्राम सभा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय
1	बेहराबाँक	13	बेहराबाँक	दुमका	14	346	3.54		
					14	347	0.08		
					14	350	1.09		
					14	358	0.45		
					कुल :-		5.16		
2	रामपुर	15	बेहराबाँक	दुमका	3	105	1.60	पंचायत भवन, रामपुर	तिथि-17-06/17 पूर्वाह्न 11:30 बजे
					53	45	4.48		
					-	78	1.20		
					-	77	0.40		
					3	74	0.60		
					3	61	0.79		
					3	73	0.06		
					36	104	0.28		
					14	108	1.10		
					9	101	0.03		
					14	99	0.19		
					3	80	4.66		
					कुल :-		15.39		

(राहुल कुमार सिन्हा)
उपायुक्त,
दुमका।